(iv) Need to amend immigration laws to prevent harassment being melted out to Indian citizens who over stay abroad after getting employment

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना) : महोदय, देश के कई भागों से लोग विदेशों में घूमने के लिए या अपने रिश्तेदारों के यहां जाते हैं और वहां काम मिल जाने पर वहां पर काम करना शूरू कर देते हैं क्योंकि देश में बेरोजगारी बहुत है। अगर उनको विदेशों में काम मिल जाता है तो उनके परिवार के लिए अच्छा होता है और भारत के हित में है क्योंकि विदेशों से विदेशी मुद्रा कमा कर भारत लायी जाती है। जब यह लोग भारत लौटते हैं तो उन्हें नाहक परेशान किया जाता है और उनके साथ इमीग्रेशन लोगों द्वारा उचित व्यवहार नहीं किया जाता है। अपने ही देश में अपने नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार इमीग्रेशन के अधिकारी लोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति विदेश में काम करने के लिए रूक जाता है तो उसको सरकार को मदद करनी चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में इस संबंध में जो कानून है, उसको बदला जाना अतिआवश्यक है। देश में रोजगार न मिलने से उनकी विदेशों में नौकरी प्राप्त करना एक मजबूरी है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अगर कोई व्यक्ति काम प्राप्त होने पर विदेशों में रूक जाता है तो उसको भारत में आने में तंग नहीं किया जाना चाहिए और इस संबंध में जो कानून है उसमें शीघ्र बदलाव लाया जाये।